

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1217 / ग्यारह-2-21-9(47) / 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(215)-2021

लेखनऊ: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर एतद्द्वारा अधिसूचना सं0-335 / ग्यारह-2-21-9(47) / 17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश -(176)-2021 दिनांक 06 अप्रैल, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में शब्द "एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा-25 की" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "उपधारा (6क) या" बढ़ा दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 24 सितम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,



(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव।